

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर!

क्रमांक एफ 1() 2018-19/ऑडिट समिति/प्रमुखसं/4094-120 दिनांक : 11.09.2020

निमित्त

1. प्रधान महालेखाकार,
महालेखाकार कार्यालय
राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक,
निरीक्षण विभाग
राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित कार्यालय (परिशिष्ट 1 अनुसार)

विषय:- पैरा निस्तारण हेतु जयपुर संभाग में स्थित कार्यालयों के लिए कैम्प आयोजित किये जाने बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन विभाग की ऑडिट समिति वर्ष 2020-21 की प्रथम बैठक दिनांक 31.07.2020 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में महालेखाकार/निरीक्षण विभाग के बकाया प्रतिवेदनों के आक्षेप निस्तारण हेतु दिनांक 22.09.2020 से 25.09.2020 तक जयपुर स्थित समस्त कार्यालयों का अरण्य भवन में अनुच्छेद निस्तारण हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कैम्प आयोजित कार्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर तिथिवार संलग्न है। संबन्धित कार्यालयों से निवेदन है कि पूर्ण अनुपालना/सूचना के साथ परिशिष्ट 1 में निर्धारित की गई तिथि एवं समय पर अरण्य भवन के सी विंग प्रथम तल, कॉन्फ्रेस हॉल नम्बर सी-109 में उपस्थित रहें।

अतः कृपया उक्त दिनांक को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को कैम्प में भिजवाने का श्रम करावे ताकि मौके पर ही आक्षेपों का निस्तारण कराया जा सके एवं ऑडिट समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति हो सके।

संलग्न: 3 प्रतियाँ

भवदीय




(संजय सोलंकी)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1() 2018-19/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/4121-46 दिनांक : 11.09.2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक निदेशक राज वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान (एफ.टी.आई.) जयपुर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ट्री) राजस्थान, जयपुर
2. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ.पी.) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सिल्वा) ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आर.एफ.बी.पी.) राजस्थान, जयपुर
3. अध्यक्ष, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी बोर्ड, राजस्थान जयपुर/मुख्य वन संरक्षक (एफ.पी. आर.पी.) बनास, राजस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
4. वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय प्रमुवसं. (हार्फ) राजस्थान, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, जयपुर/उप वन संरक्षक, जयपुर/उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)/उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) जयपुर/उप वन संरक्षक, (चिड़ियाघर) जयपुर/उप वन संरक्षक, (अनुसंधान) ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर/उप वन संरक्षक, दौसा/उप वन संरक्षक, सीकर/उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर/वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर
6. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. समादा अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर को मीटिंग हेतु आवश्यक व्यवस्था करने एवं कक्ष को प्रतिदिन सेनेटाइज किये जाने हेतु प्रेषित है।



वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्र.स.	कार्यालय का नाम	पी.ए.सी.	सी.ए.जी.	झाफ्ट पैरा	महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन		निरीक्षण विभाग की आंतरिक जांच		निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन		विभागीय आंतरिक जांच		कैम्प की दिनांक	
					रिपोर्ट	अनु.	रिपोर्ट	अनु.	रिपोर्ट	अनु.	रिपोर्ट	अनु.	दिनांक	समय
1	वन संरक्षक एवं प्राथमिक सहायक, कार्यालय प्रमुवसं. (हाफे)	-	-	-	9	43	23	156	3	18	-	-	24.09.20	10.00 से 1.30 बजे
2	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजस्थान, जयपुर	-	आर्थिक क्षेत्र 2.2. 3.2	-	7	17	20	87	3	17	-	-	24.09.20	2.00 से 4.00 बजे
3	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजन) राजस्थान, जयपुर	-	-	-	1	2	2	4	-	-	-	-	22.09.20	10.00 से 11.00 बजे
4	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ. पी.) राजस्थान, जयपुर	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	22.09.20	11.00 से 12.00 बजे
5	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) राजस्थान, जयपुर	59 वां प्रतिवेदन	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-	23.09.20	12.00 से 1.30 बजे
6	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डी) राजस्थान, जयपुर	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	22.09.20	2.00 से 3.00 बजे
7	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आर.एफ.बी. पी.) राजस्थान, जयपुर	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	22.09.20	3.00 से 4.00 बजे
8	मुख्य वन संरक्षक (एफ.पी.आर.पी.) बनारस, राजस्थान, जयपुर	-	-	-	-	-	2	17	-	-	-	-	23.09.20	10.00 से 11.00 बजे
9	अध्यक्ष, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी बोर्ड, राजस्थान, जयपुर	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	24.09.20	5.00 से 6.00 बजे
10	निदेशक प्रशिक्षण (एफ.टी.आई.) जयपुर	-	-	-	-	-	3	27	-	-	-	-	25.09.20	10.00 से 11.00 बजे
11	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, जयपुर	-	-	-	2	11	-	-	-	-	18	145	25.09.20	11.00 से 12.00 बजे
12	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	-	-	-	1	1	5	78	6	24	-	-	25.09.20	12.00 से 12.30 बजे

क्र.स.	कार्यालय का नाम	पी.ए.सी.	सी.ए.जी.	ड्राफ्ट पैरा	महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन		निरीक्षण विभाग की आंतरिक जांच		निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन		विभागीय आंतरिक जांच		दिनांक	कैम्प की दिनांक समय
					रिपोर्ट	अनु.	रिपोर्ट	अनु.	रिपोर्ट	अनु.	रिपोर्ट	अनु.		
13	उप वन संरक्षक, जयपुर	-	-	-	9	43	-	-	8	34	13	157	25.09.20	12.30 से 1.30 बजे
14	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	-	-	-	4	17	-	-	-	-	12	125	25.09.20	2.00 से 3.00 बजे
15	उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) जयपुर	-	-	-	1	7	-	-	1	5	14	188	25.09.20	3.00 से 4.00 बजे
16	उप वन संरक्षक, (मिडियाघर) जयपुर	-	-	-	2	6	-	-	2	10	17	144	24.09.20	4.00 से 5.00 बजे
17	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सिलवा) ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर	-	-	-	1	4	1	9	-	-	-	-	23.09.20	11.00 से 12.30 बजे
18	उप वन संरक्षक, (अनुसंधान) ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	1	9	18	145	25.09.20	4.00 से 5.00 बजे
19	उप वन संरक्षक, दौसा	-	-	-	6	39	-	-	2	7	15	122	25.09.20	5.00 से 6.00 बजे
20	उप वन संरक्षक, सीकर	-	-	-	4	22	-	-	-	-	10	74	22.09.20	4.00 से 5.00 बजे
21	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	22.09.20	5.00 से 6.00 बजे
22	वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	2	9	19	87	23.09.20	12.30 से 1.30 बजे
23	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर	49 वां प्रतिवेदन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.09.20	2.00 से 4.00 बजे
24	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर	252वां प्रतिवेदन सि. 6,7,8	आर्थिक क्षेत्र 3.3, 3.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23.09.20	4.00 से 6.00 बजे

(21)